7 मिलों के 5 तालाब और 18 कुएं जीवित , मगर अनदेखी से बने कूड़ा घर..!

▶ यह कैसा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन....?

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर। इंदौर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता का परिणाम है कि शहर में 7 कपड़ा मिले हुआ करती थी। सभी मिलों में पेड़ और पानी की विशेष व्यवस्था भी रही है। आज मिले भले ही बंद हो गई , लेकिन मिलों के अस्तित्व की निशानी के तौर पर आज भी शहर की 7 मिलों में से 5 मिलों में तालाब जिंदा है। वैसे हर मिल में एक तालाब और दो से चार कुएं है, लेकिन प्रशासन , नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और उदासीनता से शहर के लिए अमृत देने वाले जल स्त्रोत खत्म होने के कगार पर खड़े है।

इंदौर में करीब 20 हजार से ज्यादा मिल मजदूरों की प्यास बुझाने वाले कुएं और तालाब आज देश के सबसे स्वच्छ शहर में जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं। बताया जाता है कि किसी समय नगर निगम द्वारा शहर

में पानी की कमी होने पर टैंकर इन्हीं कुओं से भरते थे। सभी मिले में करीब 21 कुएं होते थे, मगर आज भी 18 कुएं जीवित और पानी से भरे पड़े है, जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि कुओं की स्वच्छता या जल गंगा संवर्धन अभियान में सफाई और पानी को दूषित होने से रोकने की व्यवस्था हो जाए। आज भी पर्यावरण दृष्टि से मिलों में हजारों की संख्या में पेड़ खड़े है, जिनको विकास के नाम पर काटने की तैयारी हो रही है। आज पर्यावरण दिवस पर विशेष रूप से पेड़ लगाने, जल सहजने और बढ़ते तापमान पर चिंता जताई जाएगी। कई जगहों पर विचार गोष्ठी होगी और फोटो छप जाएंगे। क्या वास्तव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर आम जनता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं ? इसका जवाब आज शहर के दृष्टिकोण से नहीं है।

शहर के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की

उदासीनता का परिणाम है कि होप और कल्याण मिल के तालाब खत्म हो चुके है। दोनों मिल के तालाब अतिक्रमण और अन्य तरह के विकास की भेंट चढ़ गए। मगर अभी भी शहर के 7 मिलों के 18 कुएं जीवित है। यदि ईमानदारी से नगर निगम महापौर, अधिकारी और प्रशासन पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना चाहते है, तो मिलों में मौजूद अमृत योजना में शहर का अमृत कुओं को संरक्षित करने का काम शुरू करें।

नहीं तो , पूर्व के तरह इंदौर शहर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात सिर्फ विचार गोष्ठी तक सीमित होकर रह जाने वाली है। आज ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी से शहर का पर्यावरण संतुलन खत्म होने के कगार पर खड़ा है। इसको इस स्थिति में पहुंचाने का मुख्य कारण है कि सीमेंट कांक्रीट के जंगल बनाना, जिससे जमीन सूखती जा रही है और भू जल स्तर 800 फीट के करीब पहुंच गया है। देश के सबसे ज्यादा भू जल स्तर गिरने वाले शहर में इंदौर का नाम विकास में सीमेंट कांक्रीट के जंगल बनाने से जुड़ गया है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि के गठबंधन ने शहर में तापमान बढ़ा दिया। आज पिछले 20 सालों में शहर के तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जो आने वाले समय में 5 के स्तर पर पहुंच सकता है। शहर की कभी तासीर थी कि डग डग रोटी , पग पग नीर, मगर आज हालत गंभीर स्थिति में पहुंच गए है। ना नीर बचा है, ना ही शुद्ध हवा बची और ना पेड़ बचे है। यह कैसा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन है, कोई समझाए या बताएं ??

पानी की कमी अव्यवस्था का परिणाम - श्रमिक नेता धारीवाल

इंटक के हरनामसिंह धारीवाल कहते है कि शहर में पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी कमी अव्यवस्था का परिणाम है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि में इच्छा शक्ति की कमी है। आज करोड़ों के विकास कार्य की बात होती है, लेकिन नगर निगम , आईडीए या अन्य सरकारी विभाग ने पानी के स्त्रोत बनाने का कार्य किया है क्या? आज झाड़ पेड़ों को काटने और सीमेंट कांक्रीट का जाल बिछाने से जो पानी जमीन में जाना चाहिए , वो पानी व्यर्थ नालों में बहकर जा रहा है। मिलों के कुएं ही संरक्षित कर दे , तो बहुत पानी की पूर्ति हो सकती है। सभी कुएं जीवित है।

शाजापुर की चीलर नदी..

जीवनदायिनी से नाला बनने का दर्द...

मनोज पुरोहित

शाजापुर. शाजापुर की पहचान रही चंद्रलेखा नदी, जिसे आज हम चीलर के नाम से जानते हैं, कभी शहर की जीवनदायिनी हुआ करती थी, लेकिन आज यह नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. विकास की अंधी दौड़ और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह पावन नदी अब एक बदबूदार बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है. नदी की दुर्दशा का मुख्य कारण शहर के गंदे नालों का सीधा इसमें मिलना और जलकुंभी का बढ़ता साम्राज्य है. जलकुंभी ने नदी के जल प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है, जिससे पानी सडने लगा है. स्थिति यह है कि नदी के पास से गुजरना भी दूभर हो गया है. सबसे दुखद पहलू यह है कि हर साल नदी सफाई अभियान के नाम पर लाखों रुपए का बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य ही रहते हैं.

चीलर नदी के उद्धार के लिए 32 करोड़ डीपीआर मध्य प्रदेश सरकार को भेजी है, ताकि चीलर नदी में मिलने वाले गंदे पानी को रोका जा सके. सौंदर्यीकरण के लिए जनभागीदारी और सरकार का सहयोग और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसे जल्द पूरा करा जाएगा.

- भूपेंद्र कुमार दीक्षित, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाजापुर

शहर की जीवन दायिनी चीलर नदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि चीलर को फिर से चंद्रलेखा बनाया जा सकें.

- अरूण भीमावद , विधायक शाजापुर

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करोड़ों का जीर्णोद्धार

नगर पालिका ने नदी के घाटों के जीर्णोद्धार पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए, किंतु निर्माण कार्य में हुई धांधली आज भ्रष्टाचार की स्पष्ट गवाही दे रही है. घटिया सामग्री और लापरवाही के कारण ये घाट आज जर्जर हो चुके हैं. सच तो यह है कि नदी के नाम पर कई लोगों ने अपनी जेबें तो भरीं, लेकिन कोई भी इस नदी के प्रति ईमानदार नहीं रहा. यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए चीलर नदी केवल इतिहास के पन्नों में ही शेष रह जाएगी.

सूखती धाराएं, खोती पहचान... रतलाम की नदियों पर गहराता अस्तित्व संकट

▶ अवैध-वैध रेत खनन, बढ़ते जल दोहन और सिकुड़ते जलग्रहण क्षेत्र से बिगड़ रहा नदी तंत्र

चंदन कुमार गनेरिया

रतलाम। जिले की नदियां अब केवल पानी की कमी से नहीं, बल्कि अपने पूरे पारिस्थितिक तंत्र के संकट से जूझ रही हैं। कभी सालभर जीवन और खेती का आधार रहने वाली चंबल, शिप्रा, माही, कुड़ेल, मलेनी, करण, जामण, पिंगला और मोरया जैसी नदियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कई सहायक नदियां बारिश के बाद ही सूख रही है, वहीं हर वर्ष नदियों में जल का स्तर कम हो रहा हैं। जल विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित रेत खनन, भूजल और सतही जल का बढ़ता दोहन, जलग्रहण क्षेत्रों का सिकुड़ना तथा नदी किनारों पर बढ़ते अतिक्रमण इनके अस्तित्व पर सीधा खतरा बन गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार नदी तल से लगातार रेत निकालने से उसकी प्राकृतिक संरचना प्रभावित होती है। रेत नदी की जलधारण क्षमता बनाए रखने और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बड़ी मात्रा में रेत निकाली जाती है तो नदी का भीतरी स्वास्थ्य बिगड़ता है, जल स्तर नीचे चला जाता है और आसपास के क्षेत्रों में भूजल संकट बढ़ने लगता है।

दूसरी ओर सिंचाई, उद्योग और पेयजल के लिए नदियों के पानी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप कई नदियां अब बरसात के कुछ महीनों तक ही सीमित रह गई हैं। जिन धाराओं में कभी लंबे समय तक प्रवाह रहता था, वे अब बरसाती नालों जैसी दिखाई देने लगी हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों और भूमि उपयोग परिवर्तन से वर्षा जल का प्राकृतिक संग्रहण भी कम हो रहा है।

नदी को जीवित रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी संगठन की नहीं है। सरकार, समाज, प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही नदी संरक्षण का अभियान सफल हो सकता है।

— रत्नेश विजयवर्गीय, जिला समन्वयक, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, रतलाम

रेत खनन, प्रदूषण और अत्यधिक जल दोहन नदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। यदि जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण नहीं हुआ तो भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है। देश की 80 प्रतिशत से अधिक जल-धाराएं अत्यधिक प्रदूषित हैं। शहरों से निकलने वाला बिना उपचारित सीवेज और फैक्टरियों से निकलने वाला रासायनिक कचरा सीधे नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियां अत्यधिक संकट में हैं।

— डॉ. खुशालसिंह पुरोहित, पर्यावरण विशेषज्ञ

जिले की नदियां -चंबल, शिप्रा, माही, कुड़ेल, मलेनी, करण, जामण, मोरया , पिंगला(जावरा), बागेरी, पुंड़िया, बुनाड़, पम्पावती ।

कुड़ेल ने दिखाया, नदियां बच सकती हैं-कभी बारिश के कुछ माह बाद ही सूख जाने वाली कुड़ेल नदी आज पुनर्जीवन की मिसाल बन गई है। रतलाम से 23 किलोमीटर दूर ढीकवा गांव स्थित इसके उद्गम क्षेत्र में स्थानीय समाज, प्रशासन, आर्ट ऑफ लिविंग और समाजसेवियों ने मिलकर संरक्षण

कटते पेड़ों के बीच हरियाली की नई इबारत

उज्जैन। एक ओर सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत शहर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, नए ब्रिज, फ्लाईओवर, घाट और अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इन विकास कार्यों के लिए हजारों पेड़ों की बलि भी दी जा रही है। दूसरी ओर प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम कटते पेड़ों की भरपाई करने के उद्देश्य से 'ग्रीन सिंहस्थ' का प्रकल्प लेकर आया है।

उज्जैन में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान की तैयारी की गई है।पंचकोशी मार्ग, मेला क्षेत्र, नई सड़कों के किनारे और शिप्रा घाटों के आसपास हरित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। अमलतास, गुलमोहर, पलाश, नीम और कदम जैसे छायादार एवं फूलदार पौधों का चयन किया गया है ताकि सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और संतों को प्राकृतिक छांव मिल सके।

ग्रीन कुंभ का कांसेप्ट

प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ-2028 को देश का पहला 'ग्रीन कुंभ' बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत लाखों पौधे लगाने, वन क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर भी शहर में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा।

चुनौती भी बहुत

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की यह चुनौती आने वाले वर्षों में उज्जैन के भविष्य की दिशा तय करेगी। सवाल यह है कि क्या कटते पेड़ों की भरपाई नई हरियाली कर पाएगी? क्योंकि इन पौधों को सहेजना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।

वृक्ष मित्र करेंगे तैयार

नवभारत से चर्चा में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ-2028 को न सिर्फ ग्रीन सिंहस्थ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है बल्कि पंचकोशी मार्ग और मेला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के साथ छायादार लाखों पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए 'वृक्षमित्र' तैनात किए जा रहे हैं।

दुर्दशा के शिकार जल स्त्रोत

कागजी चमक कब हकीकत में बदलेगी?

जीवनदायिनी नदी तिल-तिल मरने को मजबूर....

▶ कागज में संवर, चमक रही गौर नदी को हकीकत में निगल रहा गोबर, नोटिस के बाद भी बेखौफ चल रही डेयरियां, बहाई जा रही गंदगी

▶ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की सैंपलिंग में पीने योग्य नहीं पानी, बी कैटेगरी का लगा है बदनुमा धब्बा

अज़हर खान

जबलपुर। प्रशासन जोर-शोर से दावा कर रहा है कि गौर नदी को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रभावी और ऐतिहासिक पहल की जा रही है। लेकिन विडंबना देखिए, गौर नदी को कागजी ऑक्सीजन देते-देते जिम्मेदारों ने नदी का गला घोंट दिया है। दरअसल एक तरफ गौर नदी के उद्धार का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जीवनदायिनी नदी तिल-तिल मरने को मजबूर है। आज नदी अपने वजूद की आखिरी सांसें गिन रही है। नोटिस के बाद भी

धड़ल्ले से चल रही डेयरियों से छोड़े जा रहे गोबर, गंदगी के कारण नदी को गोबर नदी में तब्दील किया जा रहा है जिसके चलते नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। जब पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि गौर नदी का पानी पीने योग्य नहीं है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग की मई माह में ही हुई सैंपलिंग में इसका खुलासा हुआ।

भले ही जल गंगा संवर्धन के तहत नदी संरक्षण के दावे सिर्फ प्रशासनिक बैठकों, कागजों में चमक रहे हैं। जबकि हकीकत में, पानी काला हो चुका है। नदी के आस-पासबड़ी डेयरियां है जहां से निकलने वाला गोबर एवं गोमूत्र सीधे गौर नदी छोड़े जाने से गौर नदी की दुर्दशा का शिकार हो ही गई। अनियंत्रित डेयरियों से निकलने वाली गंदगी को बहाने से पानी का गाढ़ा दलदल बन चुका है। पवित्र जल स्त्रोतों को सहेजने का संकल्प, डेयरियों के कचरे के आगे घुटने टेक चुका है।

बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कागजी चमक कब हकीकत में बदलेगी? नदी का अस्तित्व आज खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल समीक्षा बैठकों में व्यस्त हैं। जब तक जमीनी स्तर पर डेयरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और गंदे पानी का बहाव नहीं रुकेगा, तब तक यह अभियान सिर्फ बजट ठिकाने लगाने का जरिया मात्र बनकर रह जाएगा।

केवल औपचारिकताएं-नदी किनारे पौधे लगाने का नाटक और सफाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह कागजी चमक कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकेगी? प्रदूषण फैलाने वाली इन डेयरियों पर ठोस कार्रवाई करने से अफसरों के हाथ क्यों कांप रहे हैं? नोटिस के बाद भी डेयरिया क्यों संचालित हो रही है? और यहां से गंदा पानी किसके संरक्षण में बहाया जा रहा है ?क्या नदी को पूरी तरह खत्म होने के बाद कुंभकर्णी नींद खुलेगी? क्या जल गंगा संवर्धन अभियान का मकसद सिर्फ एक नदी की तस्वीर चमकाकर फोटो खिंचवाना है? या फिर दम तोड़ती नदी को हक मिलेगा? अगर नदी में बहते इस जहर को तुरंत नहीं रोका गया, तो यह नदी बहुत जल्द सिर्फ कागजी दस्तावेजों और इतिहास के पन्नों में ही जिंदा मिलेगी।

बेजुबानों को प्यास बुझाने की सजा सीधे मौत!

इस दूषित पानी को पीने के लिए वन्यजीव और मवेशी मजबूर हैं। जो नदी प्यास बुझाने के लिए बनी थी, वह अब इन जीवों के लिए साइलेंट किलर बन चुकी है। दूषित पानी पीने से हर वक्त पशुओं पर मौत का खतरा मंडरा रहा है, इस जहरीले और दूषित पानी को पीना उनके लिए सीधे मौत के जाल में फंसने जैसा है।

इनका कहना है..

गौर नदी का पानी बी कैटेगरी में आ रहा है। पानी पीने योग्य नहीं है। मई माह में भी सैंपलिंग हुई थी। गौर नदी को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम, सफाई अभियान चल रहा है। आने वाले समय में गौर नदी और बेहतर स्वरूप में दिखेंगी। गौर नदी में डेयरियों का गंदा पानी बह रहा है। संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ डेयरियां हट गई है लेकिन कुछ बड़ी डेयरियां अभी भी मौजूद हैं।

अमिया इक्का, लैब हेड प्रभारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा गौर नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए प्रभावी पहल की जा रही है। अभियान के तहत नदी से कचरा हटाने, जल स्रोतों के संरक्षण तथा स्वच्छता कार्य लगातार किए जा रहे हैं। नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिये लगभग 8 करोड़ रूपये की लागत से कार्य योजना तैयार की गई है। डीपीआर तैयार की जा रही है। प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कमलेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री

माफियाओं की निगाह बीहर के तटबंधों पर

डा. रवि तिवारी

रीवा। रीवा की जीवनदायिनी मानी जाने वाली बीहर नदी पर वर्तमान में गंभीर और अवैध अतिक्रमण हो रहा है। ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट एरिया में पक्के निर्माण,एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के नियमों के अनुसार नदी के तट से 50 मीटर के दायरे में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। इसके बावजूद रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 और करहिया जैसे क्षेत्रों में नदी के सतही भाग और ग्रीन बेल्ट एरिया में विवाह घर (मैरिज गार्डन) और व्यावसायिक कॉ प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों का विकास-भू-माफियाओं और बिल्डरों द्वारा नदी के किनारों की डूबने वाली जमीनों को पाटकर अवैध रिहायशी कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। हाल ही में प्रशासन ने बीहर नदी के तट पर करीब 40 एकड़ भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनी के मामले में बिल्डर को नोटिस जारी की थी।

सदियों से शहर की प्यासी जनता की प्यास बुझाने वाली बीहर नदी के तटबंध अब माफियाओं की निगाह में आ चुके हैं आए दिन हो रहा अतिक्रमण नदी के दायरे को सीमित करता जा रहा है.

गौरतलब है कि बीहर नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले की अमरपाटन तहसील के खरमखेड़ा (या खरमसेड़ा) ग्राम से निकली है। यह नदी सतना से बहते हुए रीवा शहर के बीच से गुजरती है और आगे चलकर प्रसिद्ध चचाई जलप्रपात का निर्माण करती है। बीहर नदी, टोंस (तमसा) नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।

नदी का रास्ता रोकना-मिट्टी और कंक्रीट का मलबा डालकर नदी की चौड़ाई को समेटा जा रहा है। जलधारा को मोड़ने या संकुचित करने की वजह से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है।

कचरा और नालों का प्रदूषण-अतिक्रमण के साथ-साथ शहर के बड़े गंदे नाले और सीवेज का पानी सीधे बीहर नदी में गिराया जा रहा है, जिससे नदी का जलीय इकोसिस्टम पूरी तरह नष्ट हो रहा है। अकेले अमहिया नाला में एक दर्जन वार्डों का दूषित पानी बीहर नदी मे गिरकर इसे दूषित बना रहा है। इस नाले में रतहरा, समान, नेहरू नगर, इंद्रा नगर, मानस नगर, विवेकानंद नगर, आजाद नगर, बजरंग नगर, उर्रहट, द्वारिका नगर, रवींद्र नगर, नरेंद्र नगर, और रसिया मोहल्ले का सारा गंदा पानी नदी मे गिर रहा है।

अतिक्रमण के दुष्परिणाम-नदी का रास्ता रोके जाने के कारण रीवा शहर में हर साल बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जब बारिश का पानी नदी में समा नहीं पाता, तो वह रिहायशी इलाकों, सड़कों और लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है।

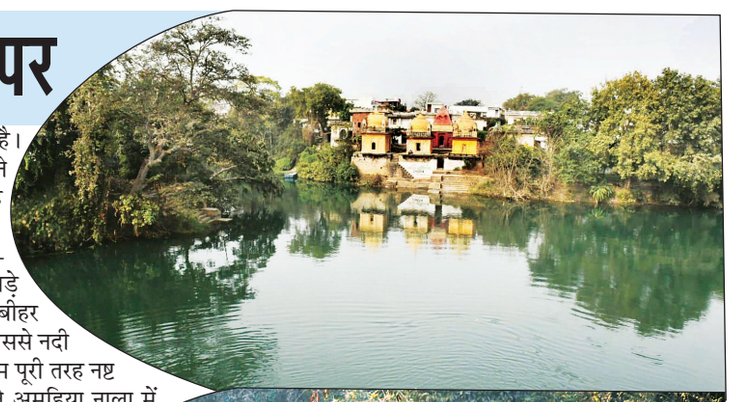

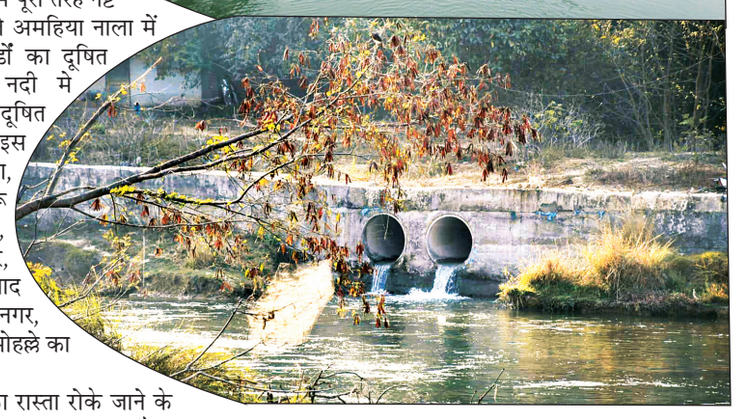

हिरन नदी का संकट में अस्तित्व

आदित्य सिंह सीधी। अतिक्रमण का दंश झेल रही हिरन नदी का अस्तित्व संकट में है। सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने के बाद भी हिरन नदी का उद्धार नहीं हुआ।

शहर की प्राचीनतम हिरन नदी अस्सी के दशक तक जल से समृद्ध बड़ी नदी थी। उस दौरान तक बाजार क्षेत्र के लोगों के स्नान एवं पीने के पानी की जरूरतें भी यहां से पूरी होती थी। नल से पानी सप्लाई की व्यवस्था बढ़ने के बाद हिरन नदी पर लोगों की निर्भरता कम होती गई। नतीजन कुछ लोगों द्वारा हिरन नदी के किनारे खाली पड़े विशाल भू- क्षेत्र पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया गया। दो हजार के दशक के बाद तो हिरन नदी को पाटकर अवैध कब्जा करने की होड़ मची गई। भारी अतिक्रमण के चलते शहर के थनहवा टोला से लेकर चकदही पुल तक हिरन नदी का बजूद नाला और नाली के रूप में नजर आने लगा। हिरन नदी के बजूद को बचाने शहरवासी अर्से से जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लिहाजा शहरवासियों की मांग पर जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद कलेक्टर एवं एसडीएम गोपद बनास के निर्देशानुसार तहसीलदार के आदेश पर हिरन नदी के सीमांकन की कार्यवाई पिछले वर्ष हो चुकी है। सीमांकन में कोतरकला एवं कोटहा क्षेत्र की नदी के लिये अलग-अलग राजस्व टीम गठित की गयी थी। कोतरकला में 21 अतिक्रमणकारी चिन्हित किये गये हैं वहीं कोटहा क्षेत्र में दर्जन भर अतिक्रमणकारी चिन्हित किये गये। दोनो टीमों के राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन एवं चिन्हित अतिक्रमणों का प्रतिवेदन तहसीलदार गोपदबनास को पिछले वर्ष ही सौंपा जा चुका है। नगर पालिका परिषद सीधी की ओर से पहले वर्ष अतिक्रमण हटाने की नोटिस भी पिछले साल संबंधितो को देकर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने 7 दिवस का समय दिया गया था। समय व्यतीत होने के बाद कार्रवाई की बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

नदी से नाली में परिवर्तित हुई हिरन नदी -हिरन नदी में भारी अतिक्रमण के चलते इसका स्वरूप अधिकांश स्थानों में नाली में परिवर्तित हो चुका है। शहर की प्रमुख हिरन नदी के सीमांकन के बाद चिन्हित अतिक्रमण हटने का इंतजार लंबा हो चुका है। नदी से नाला बनी हिरन नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराने एक वर्ष के प्रयास के बाद हुये सीमांकन में चिन्हित अतिक्रमणकारियों को हटाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।

संरक्षण के दावों के बीच अस्तित्व बचाने की चुनौती

धीरेन्द्रधर द्विवेदी

सिंगरौली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां जल, जंगल और जमीन को बचाने की बातें हो रही हैं, वहीं देवसर क्षेत्र से होकर बहने वाली महान नदी अपने अस्तित्व को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रही है। स्थानीय जनश्रुतियों और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार महान नदी का उद्गम खन्ना-बंजारी क्षेत्र से माना जाता है। यह नदी कई गांवों और वन क्षेत्रों को जीवन देने के बाद चितरंगी विकासखंड के करथुआ के रेही में जाकर गोपद नदी में विलय हो जाती है। वर्षों से यह नदी क्षेत्र की जल आवश्यकताओं और पर्यावरणीय संतुलन की महत्वपूर्ण धुरी रही है। मजौना, ढोंगा सहित नदी के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रहे रेत उत्खनन और अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में गहरी चिंता है। लोगों का कहना है कि अत्यधिक खनन के कारण नदी की गहराई लगातार ब? रही है, जिससे उसका प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। इसका असर आसपास के गांवों के भू-जल स्तर पर भी प?ने लगा है। कई स्थानों पर जल स्त्रोत कमजोर होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने में नाकाम

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी नदी में अनियंत्रित रेत खनन उसके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इससे जलधारण क्षमता कम होती है, तटीय कटाव बढता है और जैव विविधता प्रभावित होती है। महान नदी के मामले में भी ऐसे ही खतरे सामने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन को लेकर कई बार शिकायतें और विरोध दर्ज कराए गए, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस पर यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्या केवल जागरूकता कार्यक्रमों से पर्यावरण बचेगा या फिर महान नदी जैसी प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। महान नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि क्षेत्र की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक जीवनरेखा है। इसके संरक्षण के लिए समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों के सामने गंभीर जल और पर्यावरण संकट खड़ा हो सकता है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99